jk"Vªh; ek/;fed f'k{kk vfHk;ku

R M S A

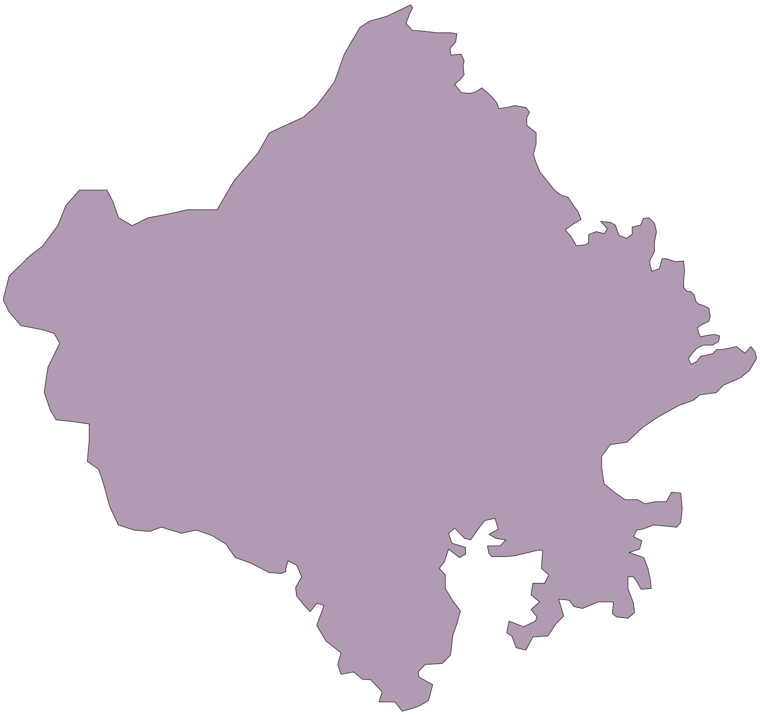

ek/;fed Lrj izf'k{k.k

ekWM~;wy lkekU;

%% vkeq[k %%

माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरूआत हो चुकी है। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इस अभियान के उद्देश्यों की संप्राप्ति की दिशा में शिक्षक – प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं उसमें गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में वृहद् दायित्व, राज्य कर्मठ, सृजनशील एवं ज्ञानवान शिक्षकों के कंधों पर ही है। इसी दायित्व के संदर्भ में शिक्षकों का अभिनवन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम समूचे राज्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अभिप्रेरित करना है। ज्ञान के सच्चे सृजन में सदैव पारस्परिकता अंतर्निहित होती है। ज्ञान सृजन की विद्यालयीन प्रक्रिया द्विदिशीय ही होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी अधिक सक्रिय हो ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके।

इस मॉड्यूल को सीमित समय में ही निर्मित करने में निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी. श्रीमती लक्ष्मी ननमा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) श्री उमाकांत ओझा के मार्गदर्शन तथा श्री प्रदीप पानेरी के समन्वयन तथा विभाग के अधिकारियों एवं आई.ए.एस.ई., सी.टी.ई. के विशेषज्ञों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। ये सभी बधाई के पात्र हैं। यह मॉड्यूल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से सीधे जुड़े हुए समस्त शिक्षकों के लिए उपयोगी होगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रशिक्षण मॉड्यूल अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूर्ण सहायक होगा।

HkkLdj ,-
lkoar

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर (राज.)

lj{kd

Mk- yfyr d- iokj] ie[k 'kklu lfpo] Ldy ,o lLd`r f'k{kk] jktLFkku

Jh fl;kjke eh.kk] 'kklu lfpo] Ldy ,वं lLd`r f'k{kk] jktLFkku

Jh HkkLdj ,- lkoar] funs'kd ek/;fed f'k{kk jktLFkku] chdkusj

¼jkt-½

ekxZn'kZd

Jherh y{eh uukek] funs'kd] ,l-vkbZ-bZ-vkj-Vh-] mn;iqj

Jh mekdkUr vk>k] lg;qDr funs'kd] ik;Z'k{k.k ,oa ikpk;Z] vkbZ-,-,l-bZ-]chdkusj

leUo;u

Jherh uhye no] jhMj] ,l-vkbZ-bZ-vkj-Vh-] mn;iqj

Jh iznhi ikusjh] ik/;kid] ,l-vkbZ-bZ-vkj-Vh-] mn;iqj

Jh jktsUnz xkLokeh] o-mi-ft-f'k-v-] ek/;fed f'k{kk funs'kky;] chdkusj

dk;Zdkjh ny

Mk- v'kksd flMk.kk
Mk- lhek Lofj;k

Mk- ehuq vxzoky
Jh ,e-,y- tkfxM+
Jherh fot;ekyk esgrk
jktsUnz dqekj 'kekZ
izeyrk ikgqvk
** gkfen glu [kku] 0;k-

v/;k; & I (Chapter)

FRAMELNORK FOR IMPLEMENTATION OF RASHTRIYA MADHYAMIK SHIKSHA ABHIYAN

A SCHEME FOR UNIVERSALISATION OF ACCESS OF AND IMPROVEMETN OF QUALITY AT THE SECONDARY STAGE .

^^jk"Vh; ek/;fed f'k{kk vfHk;ku dk fØ;kUou dh :ijs[kk** ek/;fed Lrj ij lkoZHkkSfedj.k dh iz.kkfIr ,oa xq.koÙkk lq/kkj iz.kkfIr dh Ldhe ¼;kstuk½

1- iLrkouk &

1.1 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के विद्यार्थियों को वैशविक प्रतिस्पर्घा कीसहभागिता एवं सफलता प्राप्त करने योग्य बनाना। माध्यमिक शिक्षा के सुदृढ़िकरण हेतु शैक्षिक गुणवत्ता की ओर सोचना होगा

1.2 भारत की कूल जनसंख्या में 14–18 आयु वर्ग के समूह का अनुपात भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत है।

1.3 आर्थिक उदारीकरण एवं वैष्विकरण के कारण हमारी शिक्षा विशेषकृत माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता विश्वस्तरीय हो, यह आवश्यक हो जाता है।
मौजूदा परिवेश में हमारे विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को व्यावसायिक ज्ञात तथा कौशलों के अवसरों को सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

1.4 विश्व के विकसित देशों की तरह हमारा दृष्टिकोण माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की ओर अग्रसर हो। आर्थिक वृद्धि में मानवीय संसाधनों को जुटाने की दृष्टि से विज्ञान,वाणिज्य और व्यावसायिक संकायों में लड़कियों, एस. सी., एम.टी, के नामांकन को बढ़ाने पर बल देने की आवश्यकता है।

1.5 माननीय प्रधानमंत्री के स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त, 2007) पर दिये गये भाषण में कहे गये वक्तव्य– कि हम माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को लाने के चरण के रूप में ये (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) अभियान आरम्भ किया जा रहा है।

1.6 10 वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यवर्ती शैक्षिक सर्वेक्षण में भी योजना आयोग द्वारा यह अभिशंषा की गई है कि सर्व शिक्षा अभियान को नये रूप में माध्यमिक शिक्षा के मिशन के रूप में क्रियान्वित किया जाये।

1.7 केन्द्रीय शिक्षा परामर्श मण्डल (CABE) तथा बालिका शिक्षा एवं कोमन स्कूल समिति द्वारा 2005 में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की सिफारिश की गई।

1.8 विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनाने तथा विश्वस्तरीय कार्य करने योग्य बनाने में कक्षा 8वीं तक की पढाई अपर्याप्त मानी गयी ई। सर्व शिक्षा अभियान की प्रेरणा भी माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण करने का कारण बनी है।

2- ek/;fed f'k{kk dh fLFkfr ¼**Status**½

माध्यमिक षिक्षा के साख्यिकी विश्लेषण राष्ट्रीय शैक्षिक सांख्यिकी 2005–06 के अनुसार देश में माध्यमिक विद्यालय की संख्या 1,06,084 तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या 53619 तथा पढ़ाने वाली की कुल संख्या 3.84 कनोड़ थी।

3- nf"Vdks.k ¼**Vision**½

14–18 आयु वर्ग के किशोर बालक–बालिकाओं को गुणवत्ता, पूर्णशिक्षा उपलब्ध कराने के और शिक्षा को वहन योग्य बनाने की सोच हेतु निम्नांकित प्राप्य हैं :–

- प्रत्येक 5 किमी. पर माध्यमिक तथा 7–10 किमी. की दूरी पर उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध करवाना।
- 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का लक्ष्य सुनिश्चित करना तथा 2020 तक माध्यमिक शिक्षा के शत् प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करना।

- समाज के विशेष वर्ग विशेषकर लड़कियायें तथा कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों व दुर्गम स्थानों/ग्रामीण स्थानों के (Migrated) प्रवर्जित विद्यार्थियों का कम खर्चीली माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना।

4- y{; ,oa mns'; %&

4.1 माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण (USE) की चुनौतीपूर्ण अवधारणा को माध्यमिक शिक्षा की सर्व सुलभता, समानता और सामाजिक न्याय तथा प्रांसगिक विकसित पाठ्यक्रम संरचना के सन्दर्भ में अवगत करवाने की आवश्यकता है। सामान्य स्कूल अवधारणा (कोमन स्कूल) को प्रोत्याहित करना जिसमें सभी प्रकार के स्कूल तथा सरकारी, अनुदानित, गैर अनुदानित विद्यालयों से सहयोग

उपरोक्त लक्ष्य/ध्येय की प्राप्ति हेतु निम्नांकित उद्देश्य इस प्रकार है :-

1. माध्यमिक शिक्षा हेतु निर्धारित किये गये मानदण्डों के अनुरूप सभी प्रकार के विद्यालयों में भौतिक सुविधायें, स्ठाफ की पूर्ति को सुनिश्चित करना।

2. माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की पहुँच हेतु निर्धारित दूरी के मानदण्डों के अनुरूप सुविधायें प्रदान करना। प्रभावी यातायात सुविधाओं का प्रबन्धन आवासीय सुविधायें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खुले विद्यालय तथा पर्वतीय एवं दुर्गम स्थानों पर आवसीय विद्यालय स्थापित करना।

3. लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्तर, विकंलागिता के आधार पर कोई भी विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा से वंचित नहीं रहे इसे सुनिश्चित करना।

4. माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के परिणाम स्वस्थ्य विद्यार्थियों में बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिगम में वृद्धि हो।
5. सभी विद्यार्थी गुणवत्ता पूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करें इसे सुनिश्चित करना।
6. समाज विद्यालय व्यवस्था में भी उपरोक्त उदे्श्यों को प्राप्त करना।

v/;k; & II

ek/;fed Lrj gsrq mikxe o 0;g jpuk

2.1 माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (USE) में संख्यात्मक, गुणात्मक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुऐ व्यापक स्तर के अनुसार अतिरिक्त विद्यालय खोलना, भवन, कक्षाकक्षों का निर्माण, अध्यापकों की उपलब्धता एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना।

2-1-2 **lkoHkkSfed ikfIr** – देश के विभिन्न अंचलों में विद्यालय में प्रदत्त सुविधाओं में विषमताएँ हैं। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता की सार्वभौमिक प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विशेष मानदण्ड तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये हैं :– इन मानदण्डों की तुलना केन्द्रीय विद्यालयों के मानदण्डों से की जा सकती है।

ढांचागत सुविधाऐं तथा अधिगम संसाधनों के विकास हेतु निम्न उपाय करने होंगे:–

1. माध्यमिक विद्यालयों का विस्तार करना और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की पारियों को स्थापित विद्यालयों में बढ़ाना एवं शिफ्ट करना।

2. सूक्ष्म, नियोजन, आवश्यक ढांचागत सुविधाओं के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नत करना।

3. आवश्यकता अनुरूप माध्यमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत करना।

4. वंचित क्षेत्रों में नये माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय को खोलना इनमें नवीन भवनों में आवश्यक जल संरक्षण के प्रबन्ध एवं निःशक्त बालकों के अनुरूप प्रबन्ध करने की व्यवस्था होगी।

5. वर्तमान में स्थापित विद्यालय के भवनों में वर्षा के जल संरक्षण के प्रबन्ध को प्रारम्भ करना।

6. वर्तमान में स्थापित विद्यालय भवनों में भी निःशक्त बालकों के लिये अनुकूल वातावरण को बनाने के उपाय करना।

7. नये विद्यालय निजि जन सहभागिता (PPP) के आधार/के अनुरूप होंगे।

2-2 x|.koRrk &

1. आवश्यक ढाचागत सुविधाऐं यथा श्याम पट्ट, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशालाऐं, कम्प्यूटर आदि उपलब्ध करवाना।

2. अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति करना एवं सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण कराना।

3. आठवी कक्षा पास विद्यार्थी की अधिगम क्षमताओं को बढाने हेतु ब्रिज कोर्स प्रारम्भ करना।

4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के मानदण्ड अनुसार पाठयक्रमों की पुनः समीक्षा करना।

5. ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अध्यापकों को आवसीय सुविधा प्रदान करना तथा महिला अध्यापकों को इसमें वरीयता देना।

2-3 lerk ¼**Equity**½

1. SC/ST/OBC अल्प संख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन व आवास व्यवस्था प्रदान करना।

2. बालिकाओं हेतु छात्रावास/आवासीय विद्यालय, नकद लाभांश/गणवेश/पुस्तकें इत्यादि उपलब्ध करवाना।

3. प्रतिभाशाली तथा आवश्यकता वाले निर्धन विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान करना।

4. समेकित शिक्षा की समस्त गतिविधियों को Hallmark गुणवत्तापूर्वक बनाना।

5. विद्यार्थियों की विविधिता को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक सुविधाओं को जुटाने के प्रयास करना।

6. जो विद्यार्थी नियमित माध्यमिक शिक्षा के साथ नहीं जुड़ पाये ऐसे विद्यार्थियों हेतु दूरस्थ/खुली अधिगम शिक्षा प्रणाली को चिन्हित करना।

2-4 lLFkkxr l/kkj ,o L=kr ¼lnHk½ lLFkkvk dk ln<hdj.k ¼&

राज्यों हेतु केन्द परिवर्तित सहत्यता प्राप्त करने हेतु निम्नांकित संस्थाओं में आवश्यक प्रशासनिक सुधारो की शर्ते :–

1. विद्यालय प्रशासन में सुधार – विद्यालय अल्बिधयों में सुधार हेतु उनकी प्रबन्धन और जवाबदेही का विकेन्द्रीकरण करना
2. अध्यापकों की नियुक्तियां, पदस्थापन, प्रशिक्षण व व्यावसायिक उन्नयन हेतु तार्किक नीति अपनाना।
3. आधुनिकीकरण, सुशासन, हस्तान्तरण विकेन्द्रीकरण को सम्मिलित करते हुए शैक्षिक प्रशासन में सुधारों को अधिग्रहण करना।
4. माध्यमिक स्तर पर आवश्यक व्यावसायिक और शैक्षिक अदाऐं (Input) का प्रावधान करना।
5. वित्तिय प्रक्रिया को दुरस्त और सुग्राही और अधिकतम उपयोग योग्य बनाना।
6. विभिन्न राष्ट्रीय, राज्य स्तर की शैक्षिक/स्त्रोत संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करना यथा NCERT, NIEPA, NIOS, SIERT, SIEMATS, UNIVERSITY DEPTT, CTE IASE etc.

2.5 विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति और शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से पंचायती राज, स्थनीय निकायों, समुदायों, अध्यापकों व अभिभावकों की सहभागिता को जोड़ना।

2.6 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में केन्द्रप्रवर्तित योजना के अन्तर्गत चार अभिकरणों के सहयोग से जैसे कम्प्यूटर शिक्षा, निशक्त इत्यादि को बढ़ावा देना।

2.7 केन्द्रीय व जवाहर नवोदय विद्यालयों की वर्तमान संख्या राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार बढ़ायी जायेगी।

v/;k; & 3

fu;kstu] eY;kad rFkk foÙkh; i{k

vk/kkjHkr ¼eyHkr½ xfrfof/k;k %&

माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि तथा भौतिक संसाधनों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में निम्न मूलभुत गतिविधियों का होना आवश्यक है। राज्य सरकारों ने कार्य दल गठित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।

RMSA की योजना बनाकर जिला स्तर पर DEO तथा पंचायत समिति स्तर पर BEO को इन गतिविधियों के आयोजन का प्रभार दिया गया है। जिला ब्लॉक स्तर पर सूचनाओं को सम्प्रेषण करने के लिये आवश्यक संसाधन यथा कम्प्युटर, इन्टरनेट तथा अतिरिक्त स्टाफ के निर्देश दिये गये हैं। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण में सुधार तथा गुणवत्ता लाने के लिये आवश्यक गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे :–

(1) ऐसे विद्यालयों की पहचान करना जो संसाधन विहीन हैं।

(2) उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने लायक विद्यालयों की पहचान।

(3) ऐसे क्षैत्रों की पहचान विद्यालय जहां नये नियमानुसार भौतिक सुविधाऐं उपलब्ध नहीं है।

(4) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय को (डाटाबेस) करना।

(5) माध्यमिक शिक्षा प्रबन्ध एवं SEMIS सूचना तन्त्र के तहत प्रत्येक 5 किमी. पर माध्यमिक तथा 07 कि.मी. पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करना।

(6) शैक्षणिक गुणवत्ता उन्नयन हेतु सुक्ष्म (MiCRO) योजनाएं बनाई गई जिसमें DPC पंचायती राज, जिला व राज्य अधिकारियों को जोड़कर प्रशासन व योजना का कार्य दिया गया

(7) सूक्ष्म योजना में विद्यालय के अधिगम उपलब्धि (Transifiorarates) स्थान्तरण दर (retention) ठहराव (access) मापन/जाँच Gender (बालक–बालिका) (equity) समानता (Social equity) सामाजिक समानता और भौतिक सुविधाएँ इत्यादि का आधारभूत (Baseline assessment) मूल्यांकन किया जाये जिससे विद्यालय की वर्तमान स्थिति झलक रही हो। House hold data के साथ basic data को भी स्थान दे। इसे प्रभावशाली बनाने के लिए इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान को सम्मिलित किया गया। यह प्रतिवेदन निदानात्मक होना चाहियें ताकि योजना प्रक्रिया में कुछ किया जा सके। इसके साथ NCERT ने सभी जिलों में स्थानीय आवश्यक आवयश्कताओं वाले क्षेत्रों में अध्ययन (Studies) किये जाये जो छात्र उपलब्धि को संकेत करते हैं। राज्य स्तर पर कई अध्ययन उपलब्ध है जिनका उपयोग एक राज्य के Base Line Status (मूलभूत स्तर) जो निर्धारित करते हैं।

8. माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की जाँच विभिन्न विज्ञान विषय – भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान, गणित एवं कम्प्यूटर और अन्य शैक्षिक पाठ्क्रम (कॉमर्स एवं मानिवकी) विषयों से जो ग्रामीण व शहरों क्षेत्रों में विद्यालयों में संचालित है।

9. माध्यमिक शिक्षा प्रबन्ध एवं सूचना तंत्र (SEMIS) के लिए (NUEPA) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं शोध विश्वविद्यालय (National University of Educational Planning and REsearch) एक नोडल ऐंजेसी के रूप में कार्य करता है। आधारभूत स्तर पर आवश्यक जाँच (अभ्यास) NUEPA एवं राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

10. विद्यालय शिक्षा का विकेन्द्रीकरण में शक्ति का विभाजन स्थानीय लोगों, विद्यालय प्रबन्धतन्त्र में प्राथमिकता के आधार पर है। इस विभाजन पंचायत राज संस्थान, नगरीय संस्थायें, शिक्षक, अभिभावक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रबन्धअधिकारी को

उचित स्थान देना। जिससे विद्यालय प्रबन्ध तंत्र एवं शिक्षक अभिभावक संघों का योगदान उपयोगी, कुशल एवं प्रभावी हो।

जिला स्तर पर माध्यमिक शिक्षा अभियान में मुलभुत आवश्यकताओं की जिला स्तर पर पहचान के लिये जिला परियोजना समन्वयक नियुक्त किया जायेगा जो कि इस योजना का लाभ सभी को पहुँचा सके तथा आवश्यकताओं की पहचान कर सके।

'k{kf.kd i'kklu ,o fodUnh;dj.k o l/kkj %&

- शैक्षिक प्रशासन का आधुनिकीकरण जैसे :– E- Governess मौलिकता, विकेन्द्रीकरण प्रभावी हो ताकी कार्यक्रम को सफलता पूर्वक क्रियान्वित किया जा सके।
- शिक्षक भर्ती की तार्किक निती बनाना, उनके प्रशिक्षण यात्रा भत्ता तथा रोजगार उन्मुक्त बनाना।
- शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिये प्ब्ज ने सेवारत प्रशिक्षण सेवा पूर्व प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
- शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु कार्य करने वाली संस्थाएँ अपने–अपने राज्य में पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार के लिये उत्तरदायी होंगे। जो CBSE NCF 2005 तथा NCERT द्वारा समय–समय पर जो नीतियाँ बनाई जावे उनका समावेश करना अनिवार्य है।
- पाठ्यक्रम सुधार हेतु NCERT द्वारा प्रत्येक राज्य को 10 लाख रूपये दिये जायेंगे।
- परीक्षा के भय तथा बस्ते के बोझ को कम करना तथा शिक्षा में सुधार कर सकते हैं।
- विद्यालय के बैंक खातों मेa SDMC Cashier management and Department Contacted का सहयोग एवं मॉनीटरिंग होगी जो राजकीय नियमानुसार होगी।

ftyk Lrj ij eyHkr xfrfof/k;k¡%&

- मूलभूत गतिविधियों के लिये 25 लाख तक प्रत्येक जिला को दिये गये। (आवश्यकता नुसार) यह राशि प्राचार्य, शिक्षक, सामुदायिक नेता इत्यादि को प्रशिक्षित करने में खर्च होगी।
- कार्यालय उपकरण, सामुदायिक गतिशीलता बढ़ाने के लिए साहित्य क्रियाएँ, SEMIS हेतु कम्प्युटर की सुविधाएँ प्रदान करना।
- विद्यालय में आधारित गतिविधियों पर 1000/– तक खर्च
- विद्यालय को भौतिक संसाधनों एवं पाठ्यक्रम सम्बन्धी प्रदत्तों का संकलन।
- शोधकार्य
- मूलभूत गतिविधियों के लिये दिया जाने वाला अनुदान (प्रबन्धन, मॉनोटिंग मूल्यांकन, शोध) MMER के लिए निर्धारित बजट से दिया जायेगा।
- मूलभूत गतिविधियों को (छममक इंमक) आवश्यकता अघारित बनाया जो जिसके जिला की भोग, मानवीय संसाधन की आवश्यकता पर आधारित हों। जो राज्य स्तर पर निर्धारित होगा। राज्य स्तरीय सन्दर्भ समूह की कार्यक्रम के क्रियाचयन में सहयोग करें। (State or National Lonal Wiesion) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर बनायी सन्दर्भ व्यक्ति समूह (दल) मूलभूत गतिविधियों की मॉनीटंकरिंग एवं जिला/क्षमा राज्य/सब जन राष्ट्रीय स्तर का करेगा। संदर्भ संस्थायें नियोजन गतिविधियों को किया चयन करने काम में सहयोग करैं
- जिले पर सन्दर्भ सहायता/ NCERT /NUEPA/ SCERT/ SIEMAT से ली जा सकती है।

- प्रारम्भिक गतिविधियों की अवधि 4 से 8 माह की होगी जो प्रशिक्षण, प्रभावी नियोजन प्रक्रिया दत्त संकलन एवं विश्लेषण केन्द्रित पर हो।

fofHkUu Lrjk ij lnHkZ lLFkk;s dk lo)Zu

- राष्ट्रीय स्तर पर NCERT (RIES) NUEPA & NIOS
- SCERTS state open school SIEMA Tate

- University Departments of Education, Reputed Institution of science social studies/ Humanities Education / college of Teacher Education (CTE) Institutions of Advanced study in Education (IASF-S) जो केन्द्र द्वारा शिक्षक के विकास द्वारा चलाये जा रहे हैं।
- QCI भारत का गुणता परिषद जो स्वास्थ्य संघों एवं बोर्ड का सहयोग करें जिसका कार्य प्रशिक्षण, व्यक्ति पर्यावरण एवं गुणता का मापन करें।

fu;kstu izfØ;k %&

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में क्रियाओं से क्रियान्वन जिला स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी कोर समूह (ब्वतम ळतवनच) से प्रारम्भ की जाये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभिगम राज्य स्तरीय क्रियान्विन समिति के सदस्य सावधानी से जिले स्तर पर कार्य करेंगी। इस समिति में – SLERT, NGO, प्रतिनिधि शिक्षक संघ, महिला संघ, स्वयं संघ के प्रतिनिधि, सेवानिवृतं एवं सेवारत शिक्षकों, पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, पंचायती राज के सदस्य सम्मिलित है। ''नियोजन प्रक्रिया का प्राम्भिक बिन्दु पर जिला स्तरीय कोर समूह ग्रुप का प्रशिक्षण प्रबन्ध समिति करेगी।

- नियोजन प्रक्रिया का क्रियान्वयन के सूक्ष्म प्रक्रिया के रूप समिति सदस्य – गाँव, नगरीय गन्दी बस्ती इत्यादि का भ्रमण करें। शैक्षिक आवश्यकताओं और शैक्षिक स्तर के माध्य अन्तक्रिया हो। इसके लिए भाग सभा, वार्ड सभा, ग्रामीण क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता दंर्गकर वित्तीय सहायता दें। नियोजन है कि वित्तीय सहायता एवं भौतिक नियम, विद्यालय की भौतिक संसाधन शिक्षक एवं शिक्षण सामग्री पर आधारित हो।

- विधार्थियों को पुरस्कार के रूप में छात्रवृत्ति, युनीफार्म, जूते, पाठ्यपुस्तक, नोटबुक इत्यादि राजकीय नियमों पर आधारित हो यह रमसा का एक अंग है वित्तीय सहायता राज्य स्तरीय देय होगी है। जिले का शैक्षिक योजना ही विद्यालय की योजना होगी जो शिक्षकों की एवं रमसा आवश्यकता पर आधारित है। प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में क्रमोन्नत हुआ ऐसे विद्यालय पर संवर्धन करना।

- जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC) का मुख्य कार्य आवश्यकताओं का प्रारूप बनाना, आस–पास क्षैत्र का सर्वे करना शामिल है। DPC के क्षमता सहयोग में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय संस्थाएँ शामिल हैं।

- नियोजन प्रक्रिया की भूमिका विद्यालयी स्तर समीक्षात्मक होगा। प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, प्राचार्य इसी सन्दर्भ समूह के सदस्य हो सकते हैं। विद्यालय प्रबन्ध समिति माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रस्तावित योजना की पहचान करेगी DPC की सहयोग ले सकते हैं।

Perspective plan and annual Plan

iLrkfor ;kstuk ,o okf"kd ;kstuk

1. कार्यक्रम के क्रियान्वयन नियोजन की एक इकाई जिले से प्रारम्भ होगी। एक विद्यालय खोज स्तर योजना ही प्रस्तावित एवं वार्षिक योजना होगी यह प्रस्तावित योजना जो रमसा में निर्धारित की है।

इस योजना में छात्र व छात्रों की उपस्थिति, ठहराव दर, स्थानान्तरण दर, ड्राफ्ट दर, अधिगम उपलब्धि की स्थिति के ठहराव दर को बढावा, गुणात्मक सुधार में वृद्धि इस योजना का एक अंग होना चाहिए।

2- okf"kd ;kstuk ¼**Annual Plan**½–

प्रत्येक जिले में वर्ष भर होने वालों संदर्भ उपलब्धता पर आधारित होगी।

राष्ट्रीय एवं राजकीय मिशन (National and state mission) संदर्भ सहायता हेतु 6 माह का समय दिया जायेगा तत्पश्चात प्रथम एक तिहाई राशि जिलों को प्रादान की जायेगी Annual Plans esa State Executive Conmihee होगी Project Addraisal and Appronal Conmitee MHRD के मानव विकास संसाधन मंत्रालय के अधीन होगी।

3. State Mission पर ही जिला स्तरीय योजना होगी। स्टेट मिशन निम्न बाते रखी गयी।

1. Overall GER traget for thestate
2. SC. ST, कमजोरी वाली क्षेत्रों का भी अलग से GER Target
3. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से GER Traget
4. VIII से IX कक्षाओं में स्थानान्तरण दर और माध्यमिक स्तर में नामांकन
5. भौतिक सुविधाओं का GER Traget

4. प्रत्येक जिले के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के सार्वजनिकरणर में गुणात्मक सुधान का मूल्यांकन वस्तुनिश्ठ बनया जावे जिसमें (Annual Plan) वार्षिक योजना को प्राथिमकता दी जाये।

प्रस्तावित योजना में जिले हेतु अन्य वितीय सहायता भ्झी ले सकती है जो पहले रमसा में कहा गया है। योजना एवं राष्ट्रीय एवं राजकीय नियमों पर आधारित है।

5. सभी स्तरों पर प्रस्तावित एवं वार्षिक योजना की क्षमताओं को तैयार करना इसके साथ संदर्भ व्यक्तियों को दल राष्ट्रीय व राजकीय मिशन के विकास हेतु संस्थाओं का सहयोग करना अनुसंधान संस्थायें – शैक्षिक शोध, मूल्यांकन, मॉनीटरिंग एवं समता संवर्द्धन पर ही शोध करें जिस पर वित्तीय सहायता राज्य सरकार देंगी।

6. गुणात्मक का पर्यवेक्षण एवं समता संवर्द्धन नियोजन प्रक्रिया पर आधारित होगा। RRIE, SCERTS, SIEMAT इत्यादि संस्थायें प्रभावी नियोजन का रही है। राज्य की आवश्यकताओं का चयन सरकारी एवं प्रबन्ध दर (Management Coast) पर आधारित होगा ऐसा रमसा में कहा गया है। स्टेट मिशन में भी व्यक्ति का चयन और उसकी भूमिका में वस्तुनिष्ठता हों।

?kksf"kr ;kstuk esa lalk/kuksa dk vkoaVu %&

(Alloction of Resouresh as per Approved Plan)

1. प्रारम्भिक स्तर पर सरकारी नियमों में अंकित हैं।

- जिला नियोजन की तैयारी और उसकी प्रस्तुतीकरण
- शिक्षा का विकेन्द्रीकरण हो।
- पर्यवेक्षक दल कार्यक्रम कियान्वयन के गुणात्मक स्तर का प्रतिवेदन के
- प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध
- संसाधन का वास्तविक वितरण कराना आवंटन कर
- जिले के कमजोर क्षेत्रों को अधिक सफल बनाने के लिए संसाधन प्रदान करना। शैक्षिक रूप से पिछड़े एवं संसाधनों का उचित उपयोग न करने वाले क्षेत्र/विद्यालयों की बता लगाना
- संसाधनों के आवंटन का कोई कसौटी स्थिर नहीं हैं क्योंकि संसाधनों का वास्तविक आवंटन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

<u>What a District Plan must have</u>

1. राज्य स्तरीय नियमों के अनुसार प्रारम्भिक सेटअप होगा

– GER लक्ष्य (SC, ST, MINORITIES & Rural Girls Popalation के लिये अलग से लक्ष्य रखा जो

– महिला सहभागिता में जिसमें SC, ST एवं निःशक्त विद्यार्थियों के अभिभावक, शैक्षिक रूप से पिछड़े वंचित बालको को सम्मिलित किया जाये।

– योजना प्रत्येक क्रिया छात्र व छात्रा पर आधारित हो

– विद्यालय में साहित्य एवं खेल गतिविधियों के।

Evideneces of :–

– प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधि चयन कर उनमें समन्वय हो ।

– प्रत्येक स्तर की स्थिति का संविधान क्रिया आधारित है।

– शैक्षिक व्यवस्था शिक्षकों की निर्णय क्षमता Decision Making का विकेन्द्रीकरण हों।

& School mapping and micro planning and habitationwise/ Village wise/Cluster wise/urban/ slum & ward wise समूह को ध्यान में रखा जाये।

Assessment - eY;kdu

1. संस्थाओं में उपस्थित ि ाक्षकों के प्रि ाक्षण, आव यकता और क्षमताओं की पहचान एवं अभिनवन करना।

2. आव यकताएँ– विद्यालय आधारित, विशय आधारित जैस विज्ञान, सा.विज्ञान, कला, साहित्य भ्रमण सम्बन्धी क्रियाएँ।

3. विद्यालय पुरस्कार छात्रवृत्ति, यूनीफार्म, भुल्क पुस्तकें कॉपी इत्यादि।

4. ि ाक्षण अधिगम सामग्री, सूचना तन्त्र सम्बन्धी जानकारी वित्त सम्बन्धी विद्यालय खोलने से सम्बन्धित क्रियाओं का मूल्यांकन

A plan for quality Education including a plan for –

– विशेष असवश्यकता वाले बालक व बालिकायें, ST, भौक्षिक रूप से पिछड़ी बालिकाओं की शिक्षा स्थानीय समय, शिक्षकों की उपस्थिति छात्र उपस्थिति जैसे (मुद्दों) विवादों को सम्मिलित करना।

– (प्लान एवं नॉन प्लान) सभी खर्च (विनियोग) जिला स्तर पर होगा जिसमें माध्यमिक एवं उच्चमाध्यमिक ही सम्मिलित हैं।

Appraisal of District Plan's

1. केन्द्रीय व राज्य सरकारों की Executive Comimittee ने राश्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की योजना तैया की इस समिति ने प्रत्येक राज्य को इस योजना को तैयार किया। योजना मिशन में MHRD के तकनीकी सहयोगी समूह (Technical Support Group) का सहयोग लिया गया। इसलिए तकनीकी सहयोगी समूह को प्रशिक्षण/अभिनवन करने का कार्य भी इसमें रखा गया।

2. कार्यक्रम की प्रारम्भिक गतिविधियों के क्रियान्वयन और गुणवत्ता का जाँच/मूल्यांकन/मॉनीटरिंग प्रत्येक जिले पर TSG और केन्द्र व राज्य के RP करेंगे। इस दल/समूह का गठन राश्ट्रीय व राज मिशन (National state mission) पर आधारित होगा।

3. राश्ट्रीय मिशन के कुछ प्रतिनिधि शोध संस्थान के होंगे जो राज्य पर अपने कार्यों को करेंगे। राश्ट्रीय मिशन के लिए माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के अनुभवी सन्दर्भ व्यक्तियों की सूची भी तैयार करेगा राज्य स्तरीय प्रतिनिधि राश्ट्रीय मिशन से मान्यता प्राप्त होंगे जो दल के निर्देशानुसार चैक लिस्ट तैयार करेंगे।

Determining the Base Line status

प्रारम्भिक गतिविधियों को लक्ष्य करती हुई, स्थानीय आव यकताओं को आधार मानते हुए अध्ययन किये जाये ये अध्ययन निदानात्मक प्रकृति के हों, जिसके लिए NCERT तकनीकी निर्दे ान प्रदान करेंगी। इसके साथ आधारीय अध्ययन, आधारीय उपलब्धि परीक्षण को ही इसमें लिया जाये। यह Base Line NCERT द्वारा मॉनिटरिंग निर्धारित होगी।

Supervision of Activities

राश्ट्रीय माध्यमिक ि ाक्षा अभिमित में प्रत्येक क्रियाओं का नियमित पर्यवेक्षण हो, यह पर्यवेक्षण विद्यालय प्रबन्ध समितियाँ/जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC) स्वयं/Coreteam Member द्वारा प्रभावी रूप से करेंगे।

पर्यवेक्षक टीम 6 माह के अन्तराल पर अपनी रिर्पोट राश्ट्रीय व राज्य मि ान (National/state mission) को दे। पर्यवेक्षक दल भाोध/अध्ययन का भी पर्यवेक्षण करें।

पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण भ्रमण मूल्यांकन एवं प्रसंगानुसार हो जिसमें त्c द्वारा कक्षा कक्ष पर्यवेक्षण संसाधन उपलब्धता, भाोध इत्यादि का भी पर्यवेक्षण सम्मिलित हो।

- रमसा की गतिविधियों के लिए प्रत्येक विद्यालय को 1500/– प्रत्येक वर्श (एक विशय के लिये) 2.20% राि ा प्रबन्ध मॉनीटरिंग भाोध व मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया है। यह (मात्रा) राि ा केन्द्रीय/राज्य/जिला पर विभाजित होगी। राश्ट्रीय स्तर 100/– पर विद्यालय खर्च होगा। ऐसे ही राज्य सरकार बची राि ा को मॉनीटरिंग/ ाोध/पर्यवेक्षण और मूल्यांकन हेतु विभिन्न स्तरों पर खर्च करेंगे।

- एक वर्श में एक राज्य में National/state mission के तहत तीन दिवसीय दो पर्यवेक्षण भ्रमण होंगे। पर्यवेक्षक टीम में राज्य व राश्ट्रीय स्तरीय सहभागिता होगी। इसके राज्य अपने पर्यवेक्षण टीम तैयार करेगा। प्रत्येक टीम में चार सदस्य होंगे दो राज्य मि ान के और दो राश्ट्रीय मि ान से। ये चार सदस्य

(राश्ट्रीय सन्दर्भ भाोध संस्थाओं के सदस्य/राज्य संदर्भ भाोध संस्थाओं के सदस्य/ि ाक्षा विभाग के व वि व विद्यालयी सदस्य) होंगे।

- गैर सरकारी प्रतिनिधि पर्यवेक्षण करेंगे तो यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते देय हो यह भ्रमण भी राश्ट्रीय व राजकीय मि ान के समान होगा।
- प्रभावी पर्यवेक्षण में वर्क भॉप का आयोजन संसाधन संस्थाओं में हो। कक्षा कक्ष पर्यवेक्षण हों।
- कि सेवानिवृत्त व्यक्ति, पंचायतीराज अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी भी सम्मिलित किये जा सकते हैं।

Procedure for Release of funds

foÙk vnk;h dh i.fØ;k – राश्ट्रीय माध्यमिक ि ाक्षा अभियान में राश्ट्रीय एवं राज्य के मध्य दीर्घकालीन समझौता (Pertnership) सहभागिता है।

SLIS---R.MSA – National Mission – statelevel executive committee ---TSG.

- केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष ही राज्य क्रियान्वयन सोसायटी को वित्तीय सहायता देगी।
- राज्य सरकारों से राश्ट्रीय माध्यमिक ि ाक्षा के सहयोग के लिए लिखित स्वीकृति भी लेंगी यह अभि ांशा राज्य स्तरीय क्रियान्वय समिति।
- राज्य स्तरीय सोसायटी स्थानान्तरित का सहयोग की व्यवस्था करेगी। राश्ट्रीय माध्यमिक ि ाक्षा अभियान की रा ि ा अन्यत्र खर्च नहीं होगी ऐसा लिख कर देगी।
- प्रथम कि त लिखित स्वीकृति पर राज्यों का दी चार प्रकार की है। जिसकों 15 अप्रैल तक खर्च करना होगा।
- रा ि ा दो कि तों में देय होगी – April and Sept, October

- जिलों का कार्यक्रमों की पर्यवेक्षण कार्य सितम्बर रा ि । से खर्च होगा दूसरी कि त क्रियान्वयन की प्रगति एवं गुणवत्ता पर आधारित होगी।
- रा ि । के उपयोगिता प्रमाण पत्र राश्ट्रीय व राज्य मि ान को समय समय दिये जायेंगे।
- 50% रा ि । का उपयोग करने के प चात अन्य 50% रा ि । डभ्त्क द्वारा दी जायेगी।
- राज्य से मान्यता।
- बैंक स्टेटमेंट, अन्य समय पर समय रा ि । उपयोग के प्रमाण पत्र।

<u>Financing pettern and Opening of Bank Account</u> <u>c:d [kkrk [kkyuk ,o foÙkh; <kpk</u>

केन्द्रीय सरकार 11वीं पंचवर्शीय योजना में उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ना योजना के विभिन्न अवयवों (components) पर 75% रा ि । का वहन करेगी। जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिये 90% रा ि । का वहन करेगी।

- मि ान के अवयवों पर 25% रा ि । राज्य वहन करेगी जबकि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र 10% र ि । ही वहन करेगी।
- रा ि । में स्थानान्तरण, पारद ि ता, प्रमाणिकता एवं मूल्यांकन सर्व ि ाक्षा अभियान (SSA) के समान बनाया गया।
- बैंक खाता खोलने के लिये स्तर, जिला एवं विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/उपप्राचार्य/विद्यालय ि ाक्षा समिति के सदस्यों का संयुक्त खाता खोला जायेगा/ जिला पर DPC के साथ संयुक्त खाता खोला जायेगा।
- विकास हेतु 12वीं पंचवर्शीय योजना अनुदान की 50/50 रा ि । का हिस्सा देगा। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों में 90 :10 की भागीदारी रहेगी।

IV

School Infrastructure; Learning Resources

Teachers and others

¼fo|ky; vf/kxe f k{kd ,o vU;½

11वीं पंचवर्शीय योजना का मुख्य उद्दे य 5 किमी. क्षेत्र के भी माध्यमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा अर्थात् IX X के बालक व बालिका के नामांकन संख्या में वृद्धि की आरे संकेत करता है।

1. माध्यमि विद्यालयों के गुणात्मक सुधार के लिये विशय आधारित ि ाक्षकों की संख्या में वृद्धि।
2. माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षा कक्ष व्यवस्था, प्रयोग ाालाओं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत माध्यमिक ि ाक्षा में। नये विद्यालय खोलना।
3. नये विद्यालयों के लिये भौतिक संसाधन–कक्षाकक्ष, भवन, पानी की सुविधा। प्रजात्रांतीय वातावरण का निर्माण इत्यादि।

v/;k; & 4

¼fo|ky; l lk/ku vukorZd½

एक नया माध्यमिक विद्यालय खोलने या स्थापित करने के लिय रमसा के तहत निम्न प्रावधान किये गये हैं।

(1) <u>Hkkfrd lfo/kk,</u>

(A) कक्षा कक्ष/अतिरिक्त कक्षा कक्ष

(1) कक्षा कक्ष – छात्र अनुपात 1:40

(2) न्यनतम छात्र अनुपात 1:25

(कक्षा कक्ष का आकार राज्य सरकार के नियमानुसार)

(3) एक माध्यमिक विद्यालय दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष

(4) उच्च प्राथमिक विद्यालय से क्रामोन्नत मा.वि. में चार अतिरिक्त कक्षा कक्ष।

(5) कक्षा कक्षों का निर्माण, जन सहभागिता से।

(6) जिन विद्यालयों का स्वयं का भवन हो उन्हें विद्यालय विस्तार हेतु अनुदान प्रदान किया जावेगा।

(7) कक्षा कक्ष निर्माण हेतु आवंटित बजट में फर्नीचर, फिटिंग तथा मय बरामदा होगा।

(B) विज्ञान प्रयोग ााला

(1) एक ही प्रयोग ााला कक्ष में भौतिक रसायन, जीव विज्ञान तथा गणित स्थापित हो।

(2) निर्माण कार्य जनसहभागिता से।

(3) स्वयं का भवन होने पर ही राजकीय अनुदान।

(4) प्रयोग ााला कक्ष हेतु आवंटित बजट से अभिप्राय

कक्षा मय बरामदा, विधुत फर्नीचर समेत।

(C) प्रयोग ााला उपकरण (1) भौक्षिक आव यकताओं के अनुरूप (भौतिक, रसायन,

जीव विज्ञान, गणित) उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे।

(D) प्रधानाचार्य /

प्रधानाध्यापक कक्ष (1) प्रधानाध्यापक कक्ष मय बैठक कक्ष।

(2) कक्ष का आकार राज्य सरकार के नियमानुसार।

(E) कार्यालय कक्ष (1) एक कक्ष जो कार्यालय के साथ–साथ ि ाक्षक कक्ष

(स्टाफ रूम) के रूप में प्रयुक्त होगा।

(2) ....

(3) ....

(4) ....

(F) फार्म नं. रूम
गतिविधि कक्ष
(लड़िकियों के लिए) ———————————do———————————

(G) कम्प्युटर प्रयोग ााला

———————————do———————————

(H) कला, उधोग, साहित्य
प्रयोग ााला ———————————do———————————

(I) पुस्तकालय – (1) पुस्तकालय कक्ष का आकार भारत सरकार के राजा राम मोहन राय पुस्तकाल कोश द्वारा निर्धारित

(2) जन सहभागिता

(3) जन सहभागिता

		(4)	जन सहभागिता
		(5)	जनसहभागिता से पुस्तकालय में पुस्तकें और फर्नीचर प्राप्त करना
(J)	मुत्रालय व पीने के पानी की सुविधा	(1)	विद्यालय की छात्र सं. व आव याकता के अनुरूप छात्र–छात्रा, अध्यापक तथा वि ेश आव यकताओं वालों के लिये अलग अलग।
		(2)	प्रत्येक विद्यालय में स्वच्छ पेजजल सुविधा तथा पानी के निकासी की उचित व्यवस्था हो।
(K)	फर्नीचर	(1)	पुराने– अप्रयुक्त फर्नीचर को तैयार करवाना जावे। वास्तविक आव यकओं (कक्षा कक्ष फर्नीचर की पुस्तकालय व प्रयोग ााला) के लिये राज्य सरकार के क्रय नियमों के अनुसार खरीदे जावें।
		(2)	विद्यालय की आव यकतानुसार प्रधानाध्याक/प्रधानाचार्य कक्ष कार्यालय तथा स्टाफ रूम के लिये फर्नीचर का क्रय राजकीय नियमों के अनुरूप हो।
		(3)	राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रा ि ा को उपयोगी होने पर ही मितव्ययता से खर्च करें।
		(4)	आरामदायक सुविधाओं पर खर्च नहीं करें।
		(5)	समस्त प्रकार की खरीद राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लघु व कुटीर उधोगों से या NSIC से
(L)	विद्यालय में उपलब्ध खेल मैदान का विकास –	(1)	जिन विद्यालयों के पास स्वयं के खेल मैदान नहीं है, वे पड़ौस के विद्यालय अथवा सार्वजनिक खेल मैदान का उपयोग करेंगे।
		(2)	खेल मैदानों के विकास व रख–रखाव हेतु विधायक मद। सासंद मद का सहयोग लिया जावे।

(3) युवा मामले एवं खेल मन्त्रालय द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जावेगा।

(4) प्रत्येक विद्यालय को खेल सामग्री हेतु 10,000 रुपये

(M) विद्यालय चार दिवारी (1) आव यकता होने पर राजय सरकार द्वारा

(2) चार दिवारी निर्माण व रख रखाव हेतु निजी सहभागिता, विधायक व सांसद मद से सहयोग लिया जावे।

(3) प्रत्येक विद्यालय वन सुरक्षा में पर्यावरण व वन विभाग का सहयोग प्राप्त करें।

fo|ky; l l k/ku & vko'rd

(A) ejEer o iqu% fuekZ.k ¼ogn o y?kq½

1. मरम्मत व पुनः निर्माण हेतु निजी व जनसहभागिता को प्रमुखता प्रदान की जावे।
2. वि ोश परिस्थितियों में राज्य सरकार कुछ भार्तों पर मरम्मत हेतु अनुदान प्रदान कर सकती है।
3. MaJor (वृहद) मरम्मत हेतु विद्यालय में दो सेक्सन होने पर अधिकतम 2 लाख रूपये तथा चार सेक्सन (कक्षा) होने पर अधिकतम 4 लाख रूपये अनुदान दिया जा सकता है।
4. Minor (लघु) मरम्मत में अधिकतम अनुदान रा ि 25 हजार रूपये
5. निम्न को मरम्मत मद

(1) विद्यालय भवन

(2) भाौचालय

(3) टैंक (पानी)

(4) खेल मैदान

(5) विद्यालय परिसर

(6) विधुत फिटिंग

(7) सेनेटरी (नल) फिटिंग

(8) फर्नीचर

(9) संरक्षण सम्बन्धि सेवाएँ

भवन की मरम्मर एवं रख रखाव पर सिविल कार्य के 33: से अधिक की राि ा खर्च नहीं की जाये।

6. उपरोक्त अनुदान उसी विद्यालय को प्रदान की जावेगी जिनका अपना विद्यालय भवन होगा।

(B) i;kx kkyk

उपकरण की मरम्मत	1.	कक्षा IX व X के लिये
या बदलना	2.	मरम्मत या बदलना
अथवा	3.	अस्थायी सामग्री (केमिकल्स) की खरीद
प्रयोग ााला के लिये	4.	प्रयोग ााला को सुव्यवस्थित Up date करना
अस्थायी सामग्री क्रय	5.	अधिकतम अनुदान 25,000 रुपये।
¼C½ iLrdky; d fy; iLrdk	1.	KVS की Demand मांग पर पुस्तकों की खरीद
o lekpkj i=@if=dkvk dh निर्मित [kjhn	2.	राज्य सरकार के निर्दे ाों के अनुरूप सूची से।
	3.	प्रत्येक विद्यालय को प्रति वर्श पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकें व सन्दर्भ पुस्तकें क्रय करने हेतु अधिकतम 10,000 रु. की राि ा।
	4.	राजाराम मोहन राय पुस्तकालय कोश द्वारा प्रकाि ात पुस्तक सूची के आधार पर।
(D) “k{kf.kd Hke.k i;Vu	1.	राज्य सरकार/जन सहभागिता/अभिभावक निजी दानदाताओं के सहयोग से
	2.	प्रत्येक विद्यालय द्वारा प्रतिवर्श भौक्षणिक भ्रमण
	3	भौक्षणिक भ्रमण छात्रों की ईच्छा पर (बिना दबाव के)

4 भौक्षणिक भ्रमण के दौरान सभी छात्रों की सुरक्षा, वि ेशकर लड़कियों के सम्बन्ध में।

fo|ky; dk okf’kd vuqnku dk {k= e

A. खेल, संगीत व नृत्य, चित्रकला, साहितय व ि ाक्षण सामग्री हेतु

1. ऐच्छिक विशय जैसे भुगोल से सम्बन्धित ि ाक्षण सामग्री।
2. चित्रकला उपकरण तथा सामग्री
3. नक ेा, चार्टस, अन्य कोई वि ेश उपकरण
4. खेल सामग्री व पोशाक
5. मिटिंग व स्टे ानरी पर भी खर्च व रख रखाव
6. पेजजल, विधुत, टेलीफोन के बिलों तथा इन्टरनेट या अनय कोई बिल का भुगतान

v/;k; 6

fof'k"B Qkdl leg

ckfydkvk] vuqlfpr tkfr] tutkfr] fiNMh tkfr ,o 'kkjhfjd fu'kDr fo|kfFk;k dh f'k{kk

6-1 ckfydkvk dk fy, f'k{kk &

गणवेश वितरण, स्कॉलरशिप, पाठ्यपुस्तकों, स्टेशनरी आदि जेंडर फोकस के सन्दर्भ में प्रयास किया जायेगा, PTA, NGO आदि के माध्यम से सामुदायिक गतिशीलता से बालिका शिक्षा संबंधी बाधाओं को पार करना। उत्तरी राज्यों में बालिकाओं के ड्राप आऊट ज्यादा है। अतः उन्हें प्रोत्साहन अंशदान राशि दी जानी चाहिए। "National Schems of Incentive to Girls for Secondary Education" (जून 2002) के अन्तर्गत योग्य छात्राओं के नाम से 3000/– रूपयों की 'फिक्सड डिपोजिट' की जायेगी। 18 वर्ष बाद ब्याज सहित राशि निकाली जा सकेगी। इसमें VIII उतीर्ण ST/SC तथा VIII पास कक्षा–IX में अध्ययनरत बालिकाएं पात्र है। स्कूल में महिला शिक्षक नियुक्ति एवं ग्रामीण क्षेत्र में महिला

शिक्षकों के लिए 300/– रू. ग्रामीण भत्ता दिया जाना चाहिए। दसवीं योजना के अन्तर्गत बालिकाओं के लिए हॉस्टल की सुविधाए प्रदान की जा रही है।

6.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/शिक्षा से पिछड़े अल्पसंख्यों के बालकों की शिक्षा के लिए रा.मा.शि.अ. (RMSA) में विशेष प्रावधान एवं सुविधाऐं है। प्रधानमन्त्री के 15 बिन्दु कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्प संख्यकों के लिए भले (Welfare) के लिए स्पष्ट किया गया है। शैक्षिक पिछड़े अल्प संख्यकों के लिए सूक्ष्म योजना की आवश्यकता है। इनके नामांकन, ठहराव, उपलब्धि आदि के लिए प्रावधान बताया गया है। स्कूल प्रबंधन, NGO, PTA आद SC/ST/OBC/EBM आदि के शैशिक बाधाओं को दूर करने में सामुदायिक गतिशीलता हेतु विस्तार से कार्य करना चाहिए। उक्त फोकस ग्रुप के लिए RMSA– पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिका, स्टेशनरी, गणवेश, जूते, साईकिल, व्हीलचेयर, आवास, दैनिक भत्ता आदि के सम्बन्ध में सहयोग देगा।

6.3 विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा Integrated Inclusive Education for the Disabled at Sec. Stage (IEDSS) के अन्तर्गत 4 साल तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु शारीरिक असक्षमता युक्त बालकों एवं युवाओं को शामिल करने एवं स्कूलों को असक्षम अनुकूलता (Disabled friendly) को प्रस्तावित किया है।

6-4 Ldy l ckgj d cPp &

RMSA, स्कूल से बाहर के बच्चे विशेषतः बालिकाऐं एवं परित्यक्त भाग को पहचान कर स्कूल लाने का प्रयास करेगा। इन्हें शिक्षा की मूलधारा में लाने के लिए सरकार ब्रिज फोर्स या वैकल्पिक शिक्षा का प्रारूप तैयार करेगी।

6.5 [ky Ldy dh i.kkyh (OSS) &

रोजगार से जुड़े मजदूर, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर किसानों आदि को Open & Distance leaving के अन्तर्गत खुले स्कूल की प्रणाली की शुरूआत करनी चाहिए। डिग्री स्तर से पूर्व स्तर पर NIOS एवं 10 राज्यों में SOS प्रचलित हैं।

v/;k; 7

fo|ky; lqfo/kk;sa vkSj vU; fuekZ.k dk;ksZ dk mUu;u

1. प्रत्येक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में SMDC विद्यालय प्रबन्धन विकास समिति होगी। जिसका अध्यक्ष संस्था प्रधान होग। इस समिति को सिविल कार्य, मरम्मत कार्य, रखरखाव सम्बन्धी कार्यो के अधिकार प्राप्त होगें जो नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुऐ सम्पादित करने होगें।

2. प्रत्येक विद्यालय की विद्यालय विकास प्रबन्ध समिति के सिविल कार्य से सम्बन्धित गतिविधियों का पारदर्शक लेखा जोखा रखने की प्रक्रिया अपनानी होगी।

3. स्कूल में मरम्मत, रख रखाव के कार्यो को SMDC प्रमाणित कर सकती है। नये सिविल कार्य, तकनीकी प्रावधानों को सत्यापित कर सकती है। लागत पैमाने के अनुरूप सम्बन्धित कार्यो को जानने का SMDC को अधिकार होगा।

4. कम खर्चीले साधनों के माध्यम से स्कूल वातावरण को उन्नत बनाने के प्रयास करने होगें।

5. विद्यालय भवनों की मरम्मत/रखरखाव को समिति द्वारा मान्यता दी जायेगी।

6. सभी स्कूलों में वर्षा के जल संरक्षण की व्यवस्था तथा निशक्त बालकों की सुविधाओं के प्रावधान करने होगें।

7. RAMSA के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ढांचागत आवश्यकताओं के अनुरूप सिविल कार्य आरम्भ किये जावेगे।

8. नये सिविल कार्यो की योजना में भूकम्प रोधक व वर्षा के जल संरक्षण प्रबन्धन को ध्यान में रखा जायेगा।

9. रा. मा. शि. अ. के अन्तर्गत विद्यालयों में पुनः चक्रित उर्जा के अधिकतम उपयोग का प्रावधान होगा – जैसे सोलन पैनल, सोलर लालटेन।

v/;k; 8

;ktuk dk fØ;kfUor djus vkj lelkef;d i;klk l tkMus grq icU/kuh; <kpk

jk"Vh; Lrj ij &

1. मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसका प्रबन्धन व क्रियान्वन होगा।

2. राष्ट्रीय स्तर पर इस हेतु राष्ट्रीय मिशन प्राधीकरण का गठन किया जायेगा। जो इसके उद्देश्यों और कार्यो का सम्पादन करेगा। इसका अध्यक्ष MHRD का मन्त्री होगा।

3. राष्ट्रीय मिशन प्राधीकरण को सहायता देने हेतु एक Tech. Support Group तकनीकी सहायता समूह का प्रावधान किया जायेगा।

jkT; Lrjh; &

रा. मा. शि. अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश में राज्य मिशन प्राधीकरण बनेगा। जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्य मन्त्री रहेगा।

fo|ky; Lrjh; &

1. प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबन्धन समिति SMDC का गठन होगा जिसका अध्यक्ष संस्था प्रधान होगा व अन्य पन्द्रह सदस्य रहेगें। SMDC की मिटिंग प्रत्येक पन्द्रह दिवस पश्चात् करनी होगी।
2. प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ का गठन करना होगा।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वंयसेवी संगठनों (NGO) एवं निजि जन सहभागित (PPP) की भूमिका रहेगी। जिसके अन्तर्गत सामर्थय/क्षमता निर्माण/विकास प्रशिक्षण, मानीटरिंग, शोध व सामुदायिक गतिविधियाँ संचालित होगी।

v/;k; 9

fofHkUu LÙkjksa ij izcU/ku

विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति द्वारा (S.D.M.C.) विद्यालय के संस्था प्रधानों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों एवं प्रगति का निरीक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं को दृष्टिगत करते हुए करें –

9.1 स्टॉक रजिस्टर

9.1.1 बजट नियंत्रण रजिस्टर (विभिन्न प्रयोजनाऐं, सी.एस.एस. स्कीम प्लान, नॉन प्लान आदि)

9.1.2 अध्यापक उपस्थिति पंजिका

9.1.3 विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका

9.1.4 अध्यापक – छात्र व्यवहार

9.1.5 विद्यालय का अनुशासन

9.1.6 शैक्षिक गुणात्मक उन्नयन

9.1.7 स्वास्थ्य जाँच विद्यालय प्रशासन द्वारा

9.1.8 बालिकाओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित : जनजाति एवं अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग) एवं बी.पी.एल. परिवार के विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता का अध्ययन

9.1.9 विद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं एवे निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की जानकारी

9.1.10 विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं एवं निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की जानकारी

9.2 ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत स्तर उपर्युक्त समस्त कारकों का प्रबोधन किया जाएगा।

9.3 जिला परिषद एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला स्तर पर उपर्युक्त समस्त कार्यों का प्रबोधन किया जाएगा।

9.4. राज्य स्तर पर सभी जिलों की छःमाही समेकित रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार को प्रेषित करना।

9.5 मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (M.H.R.D.) के स्तर पर National Mission & executive committee a project approval Board/Project approval Committee द्वारा कार्यो के निरीक्षण एवं छःमाही परियोजना प्रगति रिपोर्ट के आधार पर बजट आंवटित करने की अनुशंसा करेगी।

9. निरीक्षण

9.2 प्रबोधन विधियाँ –

9.2.1 जिला परिषद की सहमति से प्रबोधन हेतु प्रमाणित एवं गुणवतापूर्ण ऑडिट करने के लिए बाह्य एवं स्वंतत्र संस्थाओं जो अनुभवी एवं प्रतिष्ठित एन.जी.ओ. के रूप में हो का पैनल तैयार किया जाए।

9.2.2 विद्यालयी संस्था प्रधान प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से जिला स्तर पर, जिला स्तर से, राज्य स्तर पर प्रेषित करनी है जो ऑनलाईन पर भी अपडेट करनी है। इसके लिए नोडल एजेन्सी के रूप में न्यूपा (NUEPA) रहेगी।

9.2.3 प्रयोजन का गहन एवं सतत मूल्यांकन के लिए क्षेत्रीय भ्रमण (Field visits) निरीक्षण एवं सेम्पल चेकिगं किया जाना चाहिए।

9.2.4 ऑन लाईन डेटा अपडेट किया जाना चाहिए।

9.2.5 मापनीय चर

अदा (Input)	प्रक्रिया (Process)	उत्पाद (Output)/Performance)
1. माध्यमिक विद्यालय का सुदृढ़ीकरण 2. उ.प्रा.वि को मा. वि. क्रमोन्नत करना। 3. नवीन विद्यालय खोलना	1. सामुदायिक जागृति 2. अभिभावक–शिक्षक परिषद 3. शाला विकास प्रबन्ध समिति द्वारा पर्यवेक्षण एवं	1. जी.ई.आर. 2. हस्तान्तरण दर 2. ड्राप आउट दर 3. परीक्षा परिणाम 4. सेम्पल सर्वे उपलब्धि 5. राष्ट्रीय / राजकीय

4. कक्षा–कक्ष, प्रयोगशाला, प्रधानाचार्य कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण पुस्तकालय कक्ष एवं बालिका हेतु गतिविधि कक्ष का निर्माण 5. शौचालय एवं पेयजल सुविधा 6. खेल का मैदान 7. शिक्षक भर्ती 8. प्रयोगशाला सहायक / दफ्तरी / चौकीदार की भर्ती 9. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	प्रबोधन	एवं जिले स्तर पर कितने बच्चे खेलों में एवं सहशैक्षिक गतिविधियों मे,एन.सी.सी. एन.एस.एस., स्काउट गाइड आदि गतिविधियों में सम्मिलित है का ऑनलाइन रिकार्ड

9-3 eY;kdu

9.3.1 जिला स्तर पर, राज्य स्तर एवं केन्द्र स्तर पर नियमित रूप से मूल्यांकन एवं सेम्पल सर्वे आयोजित करना।

9.3.2 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ब्लाक वार मूल्यांकन राज्य स्तर पर जिलेवार मूल्यांकन करना।

9.3.3 मूल्यांकन में योजना, प्रबोधन एवं क्रियान्वयन के क्षेत्र में हुए नवाचार पर प्रकाश डाले। यह रिपोर्ट राज्य व केन्द्र सरकार को प्रेषित की जाए। जिसमें सुधारात्मक कदम उठाने की पहल की जा सके।

9.3.4 ऑकड़ों का प्रबन्धन एवं अभिलेखों के संधारण में सभी स्तरों पर पारदर्शिता रहनी चाहिए।

9.3.5 शोध

केन्द्र एवं राज्य सरकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सुदृढ़ीकरण करने हेतु (RMSA) की सभी गतिविधियों पर शोध स्वतंन्त्र संस्थाओं द्वारा किया जाएगा।

v/;k; 10
ikjnf'kZrk ,o tokcnsgh

10.1 सूचना के अधिकार (2005) के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से सम्बन्धित किसी भी घटक से सम्बन्धित सूचना माँगे जाने पर अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए एवं रमसा की वेबसाइट सभी स्तरों पर अद्यतन रहे।

10-2 iR;d fo|ky; d lpukiVV ij lpuk, vfdr dh tk,&

1. राष्ट्र व माध्यमिक शिक्षा अभियान के समस्त घटक/गतिविधियाँ
2. अध्यापक उपस्थिति
3. गुणात्मक उन्नयन हेतु नामांकन उपस्थिति ठहराव ड्रापआउट आदि की सूचना

   उपर्युक्त के दस्तावेज संधारित किए जाए।

10.1.3 परियोजना के क्रियान्वयन में सहभागिता दे रही समस्त संस्थाओं के कार्यालयों के बाहर विभिन्न कार्यो के लिए स्वीकृत राशि, विभिन्न सम्पन्न कार्यो पर राशि

का व्यय, विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित किया जाना चाहिए और ग्राम पंचायत की बैठकों में इस पर चर्चा होनी चाहिये। सभी कार्यो में पारदर्शिता रखी जाए।

10-2 okf"kd ifronu &

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार्टेड एकाउन्टेन्ट (सी.ए.) द्वारा वित्तिय वर्ष के अन्त में जिला स्तर पर अनिवार्य रूप से आडिट कराया जाए। जिसकी आडिट रिपोर्ट समय पर प्रेषित न होने पर अथवा असन्तोषप्रद होने पर केन्द्र सरकार द्वारा वित्तिय सहायता प्रतिबन्धित की जा सकती है।

- **Hkkfrd vkfMV &**

कार्य की गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। गुणवत्ता में कमी अथवा फर्जी प्रविष्ठियाँ या कार्यो में अनियमितता पाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

- **lrdrk ,o icks/ku &**

विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबन्ध समिति एवं प्रबोधन समिति सर्तकता के रूप में कार्य करेगी। जिला परियोजना समन्वयक ग्राम स्तर पर सर्तकता समिति के गठन को सुनिश्चित करेगा।

- **ifjonuk fuLrkj.k**

जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं विद्यालय स्तर पर संस्था प्रधान परिवेदना अधिकारी होगा जो निम्नानुसार पंजिका संधारित करेगा–

क्र. स.	प्रार्थी का नाम	दिनांक	परिवेदना का प्रकार	परिवेदना की प्रविष्टि दिनांक	परिवेदना के निस्तारण का प्रकार	परिवेदना के निस्तारण का दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

उपर्युक्त पंजिका संधारित करना एवं प्राप्त परिवेदनाएँ सूचनापट्ट पर अंकित हो एवं सम्भव हो सके तो वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत परिवेदनाएँ अविलम्ब सुनी जाए और निस्तारित की जाए।

jk"Vªh; ek/;fed f'k{kk vfHk;ku dk lf{kIr ifjp;

i"BHkwfe@ifjp; &

भारत सरकार व मानव संसाधन विकास मन्त्रालय को शिक्षा संबन्धी सुधार व गति देने हेतु केन्द्रिय शिक्षा परामर्श मण्डल (सी.ए.बी.ई.) द्वारा 2005 में माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने और गुणात्मक विकास की अभिशंषा की। दसवीं पंचवर्षीय योजना के शिक्षा सम्बन्धी मध्यवर्ती मूल्यांकन प्रतिवेदन में वर्णित किया गया कि सर्व शिक्षा अभियान की सफलताओं को ध्यान में रखते हुऐ माध्यमिक शिक्षा को एक मिशन के रूप में लिया जाना चाहिये। इसी सन्दर्भ में स्वतन्त्रता दिवस 2007 को माननीय प्रधान मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उद्‌बोधन में भी कहा कि हम ''माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को निर्धारित कर रहे है।'' इन्ही सन्दर्भो में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का सूत्रपात हुआ।

भारत में 14 से 18 आयु वर्ग के समूह का अनुपात भारत की कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तरीय शैखिक सांक्ष्यिकी प्रतिवेदन 2005–06 के अनुसार देश

में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1,06,084 है तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 53,619 है तथा इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 3.84 करोड़ थी। जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। राष्ट्र के समग्र उत्थान के लिये इस आयु वर्ग के समूह पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की गई तथा इस समूह को शत प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने की परिणिति के रूप में यह अभियान (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) को प्रथम चरण के आर.ए.एम.एस.ए. रूप में आरम्भ किया जा रहा है।

इस प्रारूप को दस अध्याय में रखा गया है। जिसके दस अध्याय निम्न प्रकार से है –

1. माध्यमिक स्तर पर सार्वजनीकरण की प्राप्ति एवं गुणवता सुधार प्राप्ति की योजना
2. माध्यमिक स्तर हेतु उपागम व व्यूह रचना
3. नियोजन, मूल्यांकन और वित्तिय पक्ष
4. विद्यालय का आधार भूत ढांचा, अधिगम स्त्रोत, शिक्षक–अन्य
5. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार
6. विशिष्छ फोकस समूह
7. विद्यालय सुविधाऐं एवं अन्य निमार्ण कार्य का उन्नयन
8. योजना को क्रियान्वित करने और समसामयिक प्रयासों से जोड़ने हेतु प्रबन्धकीय ढांचा।
9. विभिन्न स्तरों पर प्रबोधन Monitoring मूल्यांकन एवं शोध
10. पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की भूमिका।

vkSfpR;@vko';drk &

- आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण हमारी शिक्षा विशेषकर माध्यमिक शिक्षा की गुणवता विश्व स्तरीय हो, यह आवश्यक हो जाता है।

- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा, सहभागिता एवं सफलता योग्य बनाने हेतु माध्यमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु शैक्षिक गुणवता की ओर प्रयास करने की दृष्टि से।

- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों को व्यावसायिक ज्ञान तथा कौशलों के अवसरों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से।

- विश्व के अधिकांश विकसित देशों की तरह भारत में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की आवश्यकता अनुभूत की गई।

- आर्थिक वृद्धि में मानवीय संसाधनों को जुटाने की दृष्टि से विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक संकायों में लड़कों के साथ साथ विशेषकर छात्राओं एस.सी,. एस. टी, ओ. बी. सी. के नामांकन को बढ़ावा देने की आवश्यकता की दृष्टि से।

- विद्यार्थियों को सुनागरिक बनाने एवं विश्व स्तरीय कार्य करने योग्य बनाने हेतु कक्षा 8 वीं तक की पढ़ाई को अपर्याप्त समझा जाने के फलस्वरूप।

- सर्व शिक्षा अभियान के सफल संचालन एवं उपलब्धि की प्रेरणा भी माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण करने का कारण बनी।

y{; rFkk mís'; &

माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की चुनौतीपूर्ण अवधारणा को माध्यमिक शिक्षा की सर्व सुलभता, समानता, सामाजिक न्याय तथा प्रासांगिक पाठ्यक्रम संरचना के सन्दर्भ में अवगत करवाने की आवश्यकता है। सामान्य विद्यालय अवधारणा (कामन

स्कूल) को प्रोत्साहित करना, सभी प्रकार के स्कूलों यथा सरकारी, अनुदानित, गैर अनुदानित विद्यालयों के सहयोग से माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य है।

उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उद्देश्य निम्नांकित है –

1. माध्यमिक शिक्षा हेतु निर्धारित किये गये मानदण्डानुसार सभी प्रकार के विद्यालयों में. भौतिक सुविधाऐं, स्टाफ की पूर्ति को सुनिश्चित करना।

2. माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की पहुँच हेतु सुविधाऐं प्रदान करना।

3. लिंग, आर्थिक सामाजिक स्तर, विकलांगता के आधार पर कोई विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रहे इसे सुनिश्चित करना।

4. माध्यमिक शिक्षा की गुणवता में सुधार के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में बौद्धिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिगम में वृद्धि हो।

5. सभी विद्यार्थी गुणवतापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करें। इसे सुनिश्चित करना।

6. प्रत्येक 5 कि.मी. पर माध्यमिक तथा 7–10 मि.मी. की दूरी पर उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध करवाना।

7. 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य तय करना तथा 2020 तक माध्यमिक शिक्षा में शत प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करना।

8. समाज के विशेषवर्ग विशेषकर लड़कियों तथा कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों, दुर्गम व ग्रामीण स्थानों के प्रवर्जित (Migrated) विद्यार्थियों को कम खर्चीली माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना।

9. समान स्कूल व्यवस्था में भी उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना।

0;g jpuk &

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में संख्यात्मक, गुणात्मक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर के अनुसार अतिरिक्त विद्यालय खोलना, भवन, कक्षाओं का निर्माण, अध्यापकों की उपलब्धता तथा अन्य आधार भूत सुविधाऐं प्रदान करना।

सार्वभैमिक प्राप्ति

गुणवता

समता

संस्थागत सुधार एवं सन्दर्भ संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

विद्यालय विकास प्रबन्ध समिति और शिक्षक अभिभावक संघों का गठन

केन्द्र प्रवर्तित योजना से समर्थित चार अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करना,

केन्द्रिय व जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या बढ़ाना

xfrfof/k;k¡ &

- संसाधन विहीन विद्यालयों की पहिचान ।
- मानदण्डानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना।

- शैक्षिक गुणवत्ता हेतु सूक्ष्म नियोजन।
- एन. सी. एफ. 2005 के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रमों की पुनः समीक्षा।
- शैक्षिक प्रशासन में ई–गर्वनर्स पर बल।
- विद्यालयों में आवश्यकतानुसार आधारभूत ढांचा बनाने, मरम्मत, रखरखाव हेतु वित्तिय सहायता।
- विद्यालय में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु, प्रयोगशालाओं के विकास हेतु वित्तिय सहायता।
- एन.ए.सी.ए. तथा एम.एच.आर.डी. के माध्यम से एडस्/एच.आई.वी. जागरूकता हेतु कार्यक्रमों का संचालन।
- विद्यालयों में निर्देशन व परामर्श सम्बन्धी कार्यक्रम।
- विद्यालयों में अधिगम स्त्रोत्र केन्द्रों की स्थापना ।
- शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जन सहभागिता एवं निजि सहभागिता सम्बन्धी पक्षों पर बल।
- विशिष्ट समूहों पर विशेष ध्यान।
- दूरस्थ शिक्षा एवं खुले विद्यालयों को बढ़ावा।
- शैद्दिक शोध सम्बन्धी गतिविधियों को बढावा देना।
- प्रबोधन

vkj-,e-,l-,- d vUrxr if'k{k.k f'kfojk dk i;o{k.k@voykdu i=

पर्यवेक्षण दल – 1. प्रभारी का नाम ––––––––––
2. सदस्य का नाम ––––––––––

दिनांक (पर्यवेक्षण) –––––––
शिविर में पहुँचने का समय ––––––– प्रस्थानगी समय –––––

शिविर स्थल –––––––

शिविर का नाम/विषय ––––––––
शिविर प्रभारी –––––––––
शिविर के सन्दर्भ व्यक्ति 1.
2.
शिविर की अवधि –––––––––– दिनांक ––––––––– से –––––––––तक
सम्भागी संख्या–––––––––आमन्त्रित –––––––––––उपस्थित –––––––– प्रतिशत
गणित/विज्ञान/अंग्रेजी गणित/विज्ञान/अंग्रेजी

अनुपस्थिति के कारण –

शैक्षिक पक्ष

1. इनपुट – प्रासंगिकता
   Input स्तर

2. गतिविधियाँ – By KRP/RP

   By Teacher

3. शिक्षण सहायक सामग्री
   निर्माण/उपयोग

4. सम्मागियों की सहभागिता

5. अन्तः क्रिया की स्थिति

भौतिक पक्ष –

- कक्षा कक्ष व्यवस्था
- फर्नीचर इत्यादि
- प्रकाश व्यवस्था
- जल व्यवस्था
- आवास व्यवस्था
- भोजन व्यवस्था
- सम्भागियों को प्रदत्त –

  अ. स्टेशनरी

  ब. उपकरण शैक्षिक

  स. सम्बन्धित साहित्य

चर्चा का सांराश –

अ. सम्भागियों से

ब. समन्वयक तथा सन्दर्भ व्यक्तियों से

समग्र अभिमत / सुझाव

हस्ताक्षर (पर्यवेक्षणकर्ता)

दिनांक

पद :

कार्यरत स्थान :

RAMSA ds vUrxZr izf'k{k.k f'kfojksa ls izkIr i"B iks"k.k ¼FEEDBACK½ izi=

प्रशिक्षण स्थल

प्रशिक्षण अवधि दिनांक से तक

प्रशिक्षिण शिविर का नाम

सहभागी का नाम पद

पदस्थापन स्थान फोन नं. संस्थान संभागी निवास / सैलफोन

	शिविर से अपेक्षाऐं	शिविर से प्राप्ति
क्षेत्र I. शैक्षिक पक्ष 1. पाठ्यवस्तु		

2. प्रस्तुतीकरण 3. शिक्षण सहायक सामग्री 4. सहभागिता 5. नवाचार II. व्यवस्था पक्ष 1. कक्षा कक्ष 2. आवास 3. भोजन 4. अन्य– भुगतान आदि III. व्यवहार पक्ष 1. समन्वयक 2. सन्दर्भ व्यक्ति IV. अंतः क्रिया अवसर V. बेहतरी हेतु सुझााव क्षेत्र –प्रक्षिण अवधि –समय चक्र –शिक्षण व्यवस्था –आवास व्यवस्था –भोजन/जल व्यवस्था		

हस्ताक्षर सम्भागी

ek/;fed f'k{kk vfHk;ku ds vUrxZr izf'k{k.k dk;ZØe

f'kfoj izfrosnu izk:i

प्रशिक्षण स्थल –

प्रशिक्षण अवधि दिनांक से तक

प्रशिक्षण शिविर का नाम –

आमन्त्रित सम्भागियों की संख्या उपस्थित सम्भागियों की संख्या प्रतिशत

गणित
विज्ञान
अंग्रेजी
सामान्य
कुल

नाम शिविर समन्वयक (1) आयोजक संस्था प्रधान

सह समन्वयक एवं सामान्य

सन्दर्भ व्यक्ति (1) गणित
(2) विज्ञान
(3) अंग्रजी

	वार्ता की विषयवस्तु	वार्ताकार का नाम	गतिविधि नियोजन निर्धारण/ग्रुप वर्क
प्रथम दिवस सत्रवार	सामान्य गणित विज्ञान अंग्रेजी		
द्वितीय दिवस सत्रवार	सामान्य गणित विज्ञान अंग्रेजी		
तृतीय दिवस सत्रवार	सामान्य गणित विज्ञान अंग्रेजी		
चतुर्थ दिवस सत्रवार	सामान्य गणित विज्ञान अंग्रेजी		

प्रशिक्षण में निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के नाम मय दिनांक

प्राप्त धनराशि

प्रयुक्त धनराशि – मद

योग

हस्ताक्षर सन्दर्भ व्यक्ति

हस्ताक्षर समन्वयक

Abbrevation List

RMSA	- Rashtrtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan
PPP	- Private Public Participation
CABE	- Central Advisory Board of Euducation
MTA	- Mid Term Appraisal
SUCCES	-Scheme for universalisation of Access Quality improvement at the Secondary Stage
USE	- Universalisation of Seconday Education
ICT	- Information & Communication Technology
IEDC	- Integrated Education for disabled Children
NCERT	- National Council of Education Research & Training
RIE	- Regional Institute of Education
NIOS	- National Institute of Open School.
SCERT	- State Counil of Education Research & Training
CTE	- College of Teacher Education
IASE	- Institute of Advanced studies in Education
VTC	- Vocational Training Center
NPE	- National Policy on Education 1986, 1992

EBM - Educationally Backward Minoritres
SEMIS - Seccondary Education Management Information System
SMDC - School Management & Development Committee
NUEPA - National University of Education Planning & Research
QCI - Quality Council of India
DPC - District Programme Coordinator
PAB - Project Approval Board
TSG - Technical Support Group
PTA - Porent Teacher Association
TSG - Technical Support Group
PTA - Parents Teacher Association

अपने विद्यार्थियों को जानें –

प्रस्तुत कार्यसूची में 10 कथन दिए गए। आप प्रत्येक कथन के समक्ष अपनी रुचि के अनुसार (1 से 10 तक की) प्राथमिकता अंकित करें।

Work Sheet

dk;l lph

- अच्छा कार्य किए जाने पर प्रशंसा
- अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार
- कार्य को अपने ढंग से करने की स्वतंत्रता
- शिक्षण कार्य में विविधता
- कक्षा का वातावरण सरस
- अध्यापक का मधुर व्यवहार
- कक्षा का भय रहित वातावरण
- गृहकार्य सृजनात्मकता पर आधारित हो
- शिक्षण विधा एवं विषय वस्तु में नवाचार
- उत्तरदायित्व निर्वहन का अवसर मिलना

ppkZ & सभी अध्यापक चर्चा कर निष्कर्ष निकालेंगे कि वे स्वयं इनमें से कौनसे अभिप्रेरक

Motivation
vfHkizsj.kk

अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक था आन्तरिक प्रेरणा है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है और कार्य को आरम्भ करने, जारी रखने और नियमित करने में सहायक हैं।

Methods of Motivation
vfHkizsfjr djus ds rjhds

1. Interest Development
vfHk:fp fodflr djuk

xfrfof/k;ka & 1.1 फिल्म शो
1.2 कार्टून फिल्म
1.3 नाटक
1.4 कहानी
1.5 गीत
1.6 चुटकले
1.7 खेल

izfØ;k &
mnkgj.k fQYe 'kks ‘तपती धरती’ फिल्म निर्माता – एलगोर, भूतपूर्व अमेरिका उपराष्ट्रपति
विषय ‘भूतापीयकरण’

अध्यापक फिल्म या सम्बन्धित क्लिपगिंस दिखाकर उस पर विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे।

प्रश्न 1. भूतापीकरण किसे कहते हैं ?
प्रश्न 2. भूतापीकरण के क्या कारण हैं ?
प्रश्न 3. भूतापीकरण का प्रभाव किन–किन क्षेत्रों पर पड़ेगा
प्रश्न 1. वे कौनसे देश हैं जिन्होने क्योटो संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये।

ekufld fpUru

समस्या का समाधान करने की सफलता से उत्पन्न प्रसन्नता अभिप्रेरित करती है।

xfrfof/k;ka &

2.1 वर्ग पहेली
2.2 समस्या समाधान
2.3 Brain Shorming मस्तिष्क विप्लन/मंथन

mnkgj.k & निम्न व बिन्दुओं को चार सीधी रेखाओं के माध्यम से मिलाऐं। रेखाओं को मिलाते समय पेन उठनी नहीं चाहिये।

i.fØ;k

fu"d"kZ &

समस्या का समाधान करने के लिए परम्परागत चिन्तन प्रक्रिया के विपरित सम्पूर्णता का प्रव्यक्षीकरण कर निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।

अध्यापक अपने विषय से सम्बन्धित समस्या का समाधान कराकर बच्चों से निष्कर्ष प्राप्त करवाने का प्रयास करेगा।

Give Credit ¼Js; nsuk½

कक्षा या विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को पहचान/प्रशंसा/समान मिलना चाहिए।

xfrfof/k;k¡ &

1. सर्वाधिक नियमित रहने वाला विद्यार्थी
2. अच्छा लेख
3. अनुशासित बालक
4. अच्छा वक्ता
5. कक्षा का नेतृत्व करना
6. अच्छा गृहकार्य

Achivement miyfC/k & किसी भी कार्य को स्वयं पूर्ण करना।

xfrfof/k;k¡ &

1. प्रयोग कर निष्कर्ष तक पहुंचना
2. प्रेषण कर निष्कर्ष तक पहुंचना
3. चार्ट, मॉडल्स भित्ति पत्रिका कार्टून आदि का निर्माण

4 Responsibilities ¼mRrjnkf;Ro dk ogu½ सहभागीय

xfrfof/k;k&

1. कक्षा में किसी दिन अध्यापक की भूमिका का निर्वहन (शिक्षण करना)

2. सहपाठी समूह दल में गृहकार्य की जांच
3. विभिन्न समूहों का निर्माण कर चर्चा करवाना एवं स्वयं अध्यक्षता करना।
4. शनिवारीय कार्यक्रम का आयोजन

4 Competitions ¼LoLFk i;frLi/kk½

xfrfof/k;k&

1. वाद–विवाद
2. प्रश्नोत्तरी–दो समूह बनाकर
3. समूह अधिगम
4. सहपाठी अधिगम
5. खेलकूद
6. सांस्कृतिक कार्यक्रम

mnkgj.k &

1. समूह अधिगम में सम्पूर्ण कक्षा को दो या दो से अधिक समूहों में विभक्त कर कोई ज्वचपब दे दिया जाए जिसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिकतम संभव) समूह के सदस्य तैयार करें व अगले दिन दूसरे समूह से पूछें इसी प्रकार दूसरे समूह के सदस्य प्रथम समूह से पूछे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर अंक का प्रावधान हो जिससे अंत में अधिकतम अंक वाले समूह को विजयी घोषित किया जा सके।
2. अंग्रेजी के शब्दों पर अन्ताक्षरी की जा सकती है।
Globalization – N – Native

DEMOTIVATING FACTORS

1. Unfair Criticism पक्षपातपूर्ण आलोचना
2. Public Humllitation सबके मध्य परिहास उड़ाना
3. Rewarding the nonperformer which can be demativating for the performer.
असफल को पुरुस्कृत करने से सफल व्यक्ति हतोत्साहित होता है।
4. Failure or Fear of Failure
असफलता या असफलता का भय
5. Lack of Direction
निर्देशों का अभाव
6. Lack of Vague Objective

स्पष्ट उद्देश्यों का अभाव

7. Low Self Esteem
   स्वयं का निम्न मूल्यांकन
8. Lack of Priorities
   प्राथमिकताओं का अभाव
9. Nagative Thinking
   नकारात्मक चिन्तन
10. शिक्षक व अभिभावक की उच्च महत्वाकांक्षा

Ø-l-	lQyrk dk lgk;d rRo	lQyrk dk ck/kd rRo
1	Desire – इच्छा	Ego अहम्
2	Set the Goals– लक्ष्यों का निर्धारण	Fear of Failure असफलता का भय
3	Planning – योजना	No Plan योजनाओं का अभाव
4	Commitment– प्रतिबद्धता	Lack of Farmelized Goods लक्ष्यों का अभाव
5	Responsibility– उत्तरदायित्व की भावना	Lack of Commitment प्रतिबद्धता का अभाव
6	Hard Work– कठिन परिश्रम	Lack of Persitence निरन्तर लगे रहने की भावना का अभाव
7	Positive Thinking– सकारात्मक चिन्तन	Lack of Training प्रशिक्षण का अभाव
8	Take Risk– जोखिम उठाना	Lack of Prior Lies प्राथमिकताओं का अभाव

9	Decide the Priorities– प्राथमिकताऐं निर्धारित करना	No Hard Work परिश्रम का अभाव
10	Time Management– समय प्रबन्धन	Looking for Shortcut लघुनीति अपनाना

WHAT IS LISTENING

सुनना क्या है ?

1. (अर्थ) Meaning

Hearing Sounds → Interpretation
भौतिक रूप से सुनना → अर्थापन (समझना, विश्लेषण)

Response Step ← Evaluation
प्रतिक्रिया ← मूल्यांकन (सहमत/असहमत उपयोगिता/अनुपयोगिता)

2 (प्रकार) Types

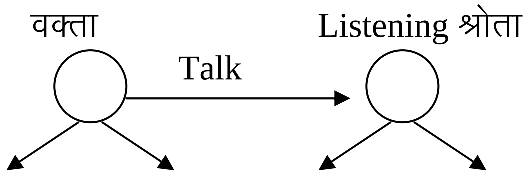

Appreciative	Informative	Therapeutic
प्रशंसात्मक	सूचनात्मक	निदानात्मक
प्रसन्नता अनुभव	सूचना प्राप्त	निर्देशन
संवेदनाओं का संचार	बोध, विश्लेषण, संश्लेषण	

अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष शिक्षण में प्रयुक्त

Teacher → Talk → Student
अध्यापक Listening ← Talk ← Listening

अध्यापक को अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना चाहिए।

jk"Vªh; ek/;fed f'k{kk vfHk;ku

R M S A

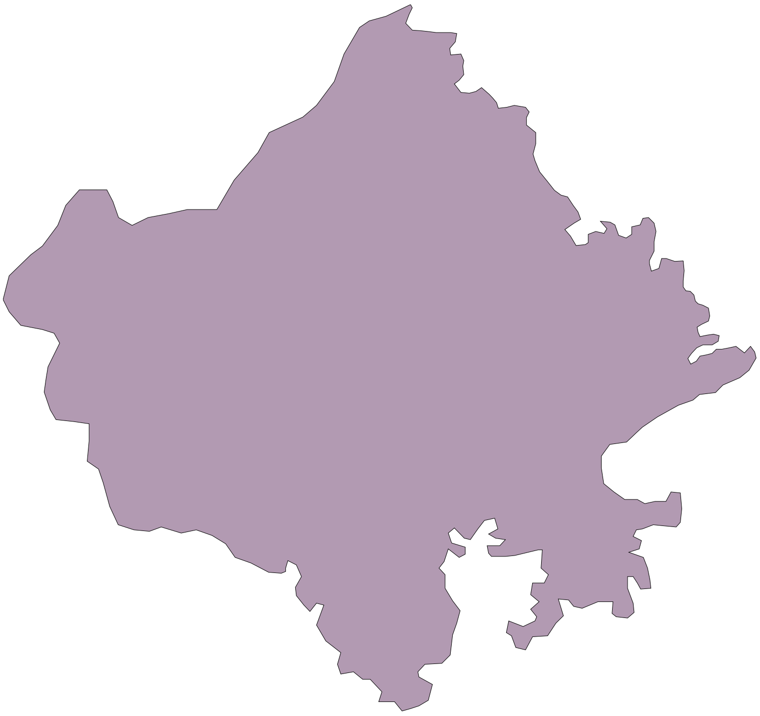

ek/;fed Lrj izf'k{k.k
ekWM~;wy lkekU;

RASHTRIYA MADHYAMIK SHIKSHA ABHIYAN

R M S A

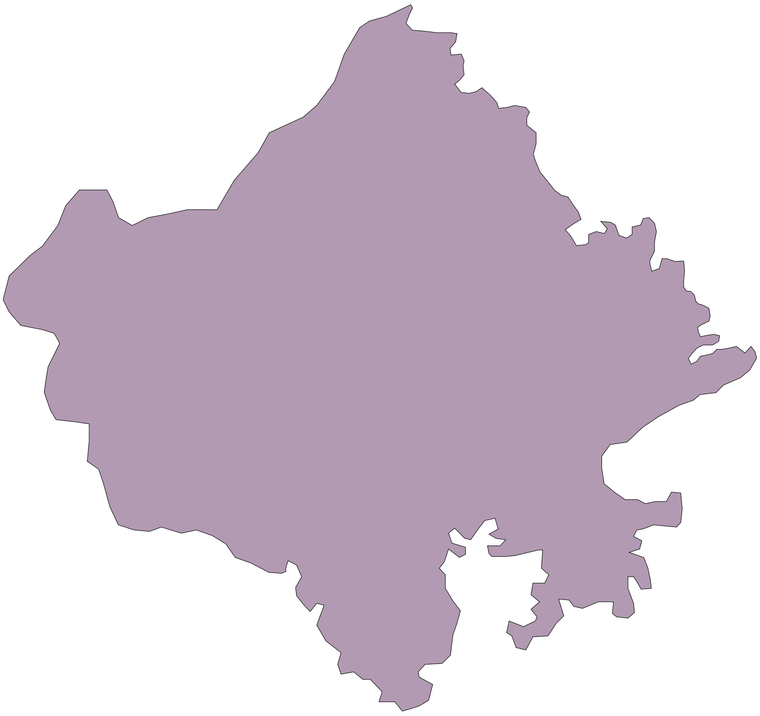

Secondary Level Training Module

ENGLISH

jk"Vªh; ek/;fed f'k{kk vfHk;ku

R M S A

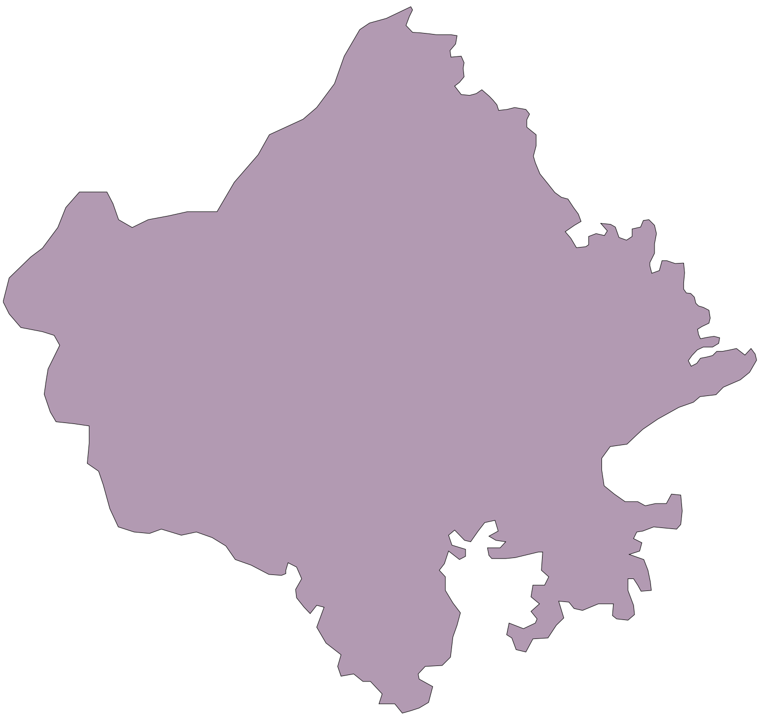

ek/;fed Lrj izf'k{k.k
ekWM~;wy lkekU;

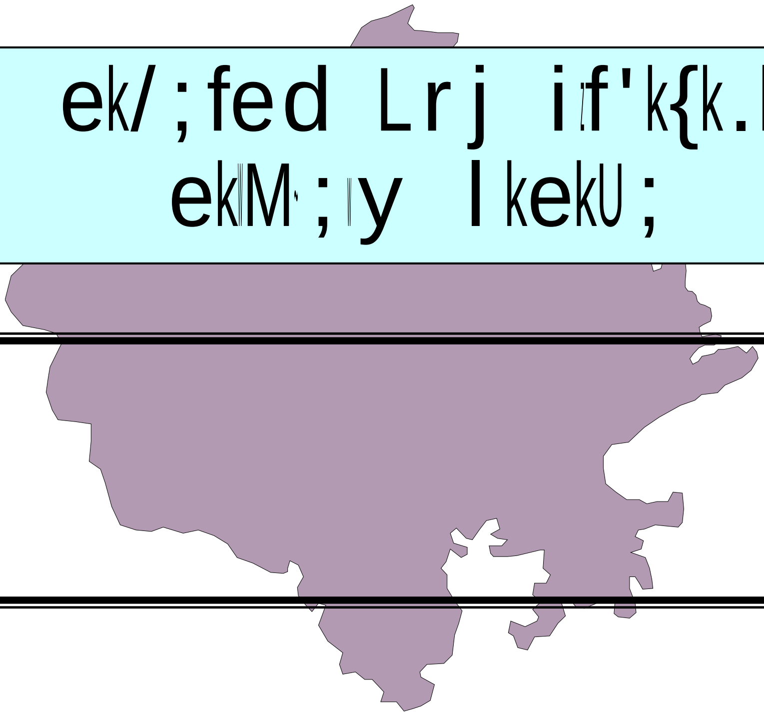

jk"Vªh; ek/;fed f'k{kk vfHk;ku

ek/;fed Lrj izf'k{k.k
ekWM~;wy foKku@xf.kr